अमेरिका में दिवाली की धूम 20 मेयरों ने लिया हिस्सा

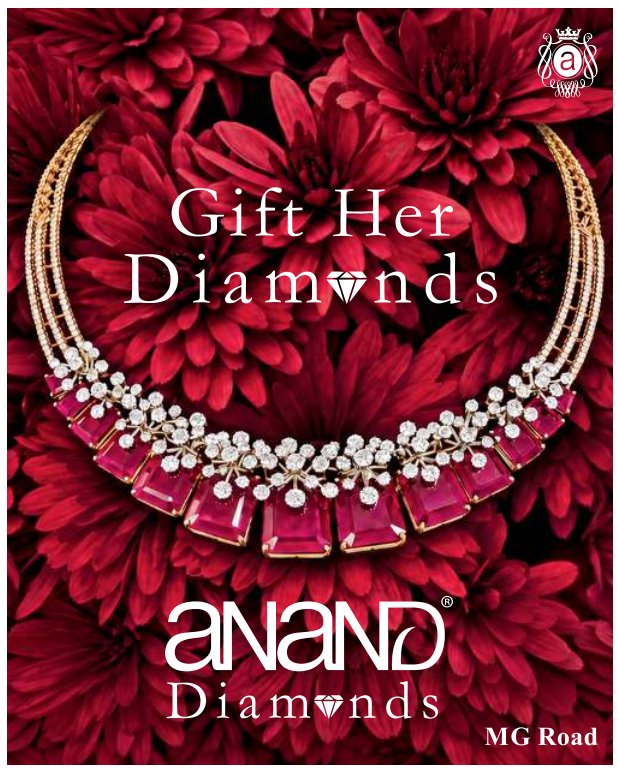
वाशिंगटन, एजेंसी : अमेरिका में दिवाली उत्सव को लेकर काफी उत्साह है। व्हाइट हाउस में दिवाली समारोह का आयोजन होने वाला है, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होंगे। यह ओवल आफिस में आयोजित किया जाएगा, जो राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू. बुश द्वारा शुरू की गई परंपरा को आगे बढ़ाएगा।

अमेरिका के पैसिफिक नार्थवेस्ट क्षेत्र के पांच राज्यों के गवर्नरों और 20 से अधिक मेयरों ने पहली बार राज्य की राजधानियों और सिटी हाल में दिवाली समारोह आयोजित किए। इनमें इडाहो, नेब्रास्का, मोंटाना, नार्थ डकोटा और वाशिंगटन के गवर्नर शामिल हैं। यह आयोजन सिएटल में भारत के महावाणिज्य दूतावास के साथ मिलकर किया गया। इनमें अमेरिकी सीनेटरों, कांग्रेस सदस्यों, मेयरों और भारतीय-अमेरिकी समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया।

वाशिंगटन राज्य के 22 शहरों में सिटी काउंसिल चैंबरों के भीतर दिवाली समारोह आयोजित किए गए, जहां मेयरों और काउंसिल सदस्यों ने दीप जलाए। कई राज्यों और शहरों ने आधिकारिक घोषणाएं जारी करके दिवाली और भारतीय-अमेरिकी समुदाय के योगदान को मान्यता दी। ये समारोह अक्टूबर के मध्य में शुरू हुए थे और 10 नवंबर को ओरेगन के गवर्नर द्वारा सलेम के स्टेट कैपिटल में आयोजित एक राज्य-स्तरीय कार्यक्रम के साथ संपन्न होंगे।

रामायणम् ने पहले दिन दुनियाभर में की 155 करोड़ रुपये की कमाई

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई : तमाम विवादों के बाद सिनेमाघरों में रिलीज फिल्म रामायणम् : पार्ट वन ने रिलीज के पहले दिन दुनियाभर में 155 करोड़ की कमाई की है। निर्माताओं ने यह जानकारी दी। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी यह फिल्म पांच नवंबर को रिलीज हुई। फिल्म में रणबीर कपूर ने प्रभु राम, साई पल्लवी ने मां सीता, यश ने रावण व रवि दुबे ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में दिवाली से पूर्व रिलीज होने वाली फिल्मों में पहले दिन की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है।



यूरोप में कई न्यूज चैनलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी

डबलिन, एजेंसी : यूरोप में न्यूज चैनलों को शुक्रवार को बम से उड़ाने की धमकियां मिलीं। इसमें कहा गया कि समय बीतता जा रहा है। इसके चलते पत्रकारों को बाहर निकालना पड़ा और कार्यक्रमों को रोकना पड़ा। कंपनियों ने बताया कि ये धमकियां आयरिश ब्राडकास्टर आरटीई, ब्रिटेन के स्काई, बुल्गारिया के निजी स्टेशन नोवा टीवी और अन्य जगहों को भेजी गई थीं। किसी भी प्रभावित जगह पर कोई बम नहीं मिला। आरटीई के कार्यक्रमों की जगह पहले से रिकार्ड किए गए कार्यक्रम चलाए गए। साथ ही यूरोप में कई उड़ानों को बम से उड़ाने की नई धमकियां मिलीं।

ये धमकियां हाल के दिनों में मिलीं उन कई फर्जी धमकियों की कड़ी का हिस्सा हैं, जिनकी वजह से सर्बिया से लेकर फिनलैंड, स्पेन और अन्य देशों तक यात्री उड़ानों में बाधा आई। इसके कारण विमानों का रास्ता बदलना पड़ा, आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी और सुरक्षा जांच करनी पड़ी, हालांकि अब तक कोई विस्फोटक नहीं मिला है। ये घटनाएं ऐसे समय में हुई हैं, जब हाल ही में हैकिंग स्कैम को लेकर चिंता बढ़ रही है, जिसमें सुपरमार्केट और ब्लड बैंक पर हुए साइबर हमले शामिल हैं।नोवा और आरटीई को शुक्रवार को मिले ईमेल में लिखा था, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया हमारे बारे में जाने, इसलिए हमारे एक साथी ने आपकी इमारत में विस्फोटक रखा है।

इजरायल में आइसेनकोट ने कहा, लंबा रास्ता अभी बाकी

- वैकल्पिक सरकार के गठन का संकल्प जताया
- अरब दलों ने नेतन्याहू को हटाने के लिए दिया समर्थन

तेल अवीव, एजेंसी : मध्यमार्गी गठबंधन को अरब पार्टियों के समर्थन के बाद याशर पार्टी के नेता गादी आइसेनकोट ने इजरायल में वैकल्पिक सरकार के गठन का संकल्प व्यक्त किया है। कहा, आगे का लंबा रास्ता अभी बाकी है। सरकार बनाने के बाद लोगों के विश्वास पर खरा उतरने की जिम्मेदारी है। आइसेनकोट ने यह बात राष्ट्रपति आइजक हरजोग से मुलाकात के बाद कही है। विदित हो कि 19 सांसदों वाली अरब पार्टियों का समर्थन मिलने के बाद आइसेनकोट के पास अब कुल 67 सांसदों का समर्थन है। जबकि 120 सदस्यों वाली संसद नीसेट में सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है।

एक्स पर पोस्ट अपने बयान में आइसेनकोट ने कहा, प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने के लिए सामने रास्ता है लेकिन वह लंबा है। इसके बावजूद हम इस रास्ते पर चलेंगे और सफलता से सफर पूरा करेंगे। जबकि अरब पार्टियों के गठबंधन ज्वाइंट लिस्ट के प्रमुख यूसुफ जबरीन ने एक्स पर पोस्ट अपने बयान में प्रधानमंत्री पद के लिए आइसेनकोट के समर्थन का कारण बताया है। कहा, हम हर कीमत पर सबसे बड़े खतरे से निजात पाना चाहते हैं। हमने नेतन्याहू और उनके सहयोगियों को सत्ता से हटाने के लिए वैकल्पिक सरकार के लिए समर्थन दिया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि नेतन्याहू के पास सत्ता में बने रहने का अब कोई फार्मूला नहीं बचा है।

कार्यालय नगर पालिक निगम बुरहानपुर

निविदा सूचना क्र/पी.डब्लू.डी/2026-27/10 — **निविदा सूचना 2026-27** — बुरहानपुर दिनांक : 06-11-2026

नगर पालिक निगम बुरहानपुर द्वारा ऑन लाइन पोर्टल https://mptenders.gov.in टेण्डर आमंत्रित किये जाते है। टेण्डर का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

क्र.	टेण्डर आई.डी.नं.	कार्य का नाम व स्थान	कार्य की समयावधि एवं लागत रू. लाख में।	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथी
1	2026_UAD_548305_1	बीज निगम से प्राप्त भूमि में प्रस्तावित नवीन कार्यालय भवन के सामने लगाई जाने वाली स्वर्गीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी की प्रतिमा हेतु पेडस्टल निर्माण का कार्य।	2 माह 39.86 लाख	5,000/- 30,000/-	24-11-2026
2	2026_UAD_548306_1	बीज निगम से प्राप्त भूमि में प्रस्तावित नवीन कार्यालय भवन के सामने लगाई जाने वाली स्वर्गीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी की प्रतिमा स्थापना का कार्य।	2 माह 31.99 लाख	5,000/- 24,000/-	24-11-2026
3	2026_UAD_548307_1	गुजराती समाज मार्केट में स्वर्गीय श्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा स्थापना का कार्य।	2 माह 11.50 लाख	5,000/- 9,000/-	24-11-2026
4	2026_UAD_548308_1	गुजराती समाज मार्केट में स्वर्गीय श्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा हेतु पेडस्टल निर्माण का कार्य।	1 माह 7.97 लाख	2,000/- 8,000/-	24-11-2026

ऑनलाइन क्रय एवं प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि As per key Date, कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है। उपरोक्त निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है, तो वेबसाइट पर ही दिखाई देगा।

कार्यपालन यंत्री
वास्ते आयुक्त
नगर पालिक निगम बुरहानपुर

थाने में सामूहिक दुष्कर्म के दोषी रिटायर्ड सीओ और इंस्पेक्टर को 20-20 साल की सजा

- 11 साल पुराने चर्चित मामले में फास्ट ट्रैक अदालत ने दिया फैसला
- न्यायालय ने प्रत्येक पर एक लाख 20 हजार का जुर्माना भी लगाया

नईदुनिया ब्यूरो, सहारनपुर : वर्ष 2015 में थाने में सामूहिक दुष्कर्म के दोषी रिटायर्ड सीओ और इंस्पेक्टर को अदालत ने 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर एक लाख बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी तत्कालीन थाना प्रभारी बृजमोहन यादव सीओ के पद से सेवानिवृत्त हो चुका है, जबकि तत्कालीन उपनिरीक्षक वेगपाल सिंह फिरोजाबाद में निरीक्षक के पद पर तैनात है।

मामले के अनुसार, छह अगस्त 2015 को देवबंद पुलिस ने अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसकी पत्नी और बहन थाने पहुंचीं। वहां मौजूद एक दारोगा ने उन्हें थाना प्रभारी से मिलने के लिए भेज दिया। इसी दौरान चार पुलिसकर्मियों पर पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। पीड़िता ने एसएसपी तक



से शिकायत की, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। हाई कोर्ट के निर्देश पर तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 2017 में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। मामले की विवेचना सीबीसीआइडी को सौंपी गई। सीबीसीआइडी ने आरोपों को गलत बताते हुए अंतिम रिपोर्ट अदालत में दाखिल की थी। पीड़िता ने अंतिम रिपोर्ट को सीजेएम कोर्ट में चुनौती दी। अदालत ने इसे शिकायत के रूप में दर्ज किया। अदालत ने साक्ष्य आने के बाद आरोपित बृजमोहन व वेगपाल को तलब किया था। ट्रायल के बाद त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार वर्मा ने गुरुवार को दोनों को दोषी करार दिया था।

अदालत की टिप्पणी : फैसले में न्यायालय ने कहा कि दुष्कर्म का अपराध समाज में अत्यंत अनैतिक और शारीरिक शोषण का अपराध है। दुष्कर्म का अपराध गैर मानवीय कार्य होने के अलावा स्त्री की पवित्रता एवं निजता के अधिकार का उल्लंघन है। यह उसकी सर्वोच्च प्रतिष्ठा पर कुठाराघात है और उसकी स्वगरिमा एवं मर्यादा को चोट पहुंचाता है। यह अपराध पीड़िता का दमन करता है और उसे समाज की नजरों में गिराता है। दुष्कर्मी असहाय महिला के आत्मा को मलिन एवं अशुद्ध कर देता है। यह अपराध पीड़िता के जीवन को पशुवत या नारकीय बना देता है और उसकी आत्मा को झकझोर देता है।

28 साल पुराने रंगदारी व धमकी के मामले में बबलू श्रीवास्तव बरी

- सीबीआइ की विशेष अदालत ने सभी आरोपों से किया दोषमुक्त
- 2001 में दाखिल हुआ था आरोप पत्र, 2003 में तय हुए थे आरोप

नईदुनिया ब्यूरो, लखनऊ : करीब 28 साल पुराने रंगदारी और धमकी के मामले में ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू को अदालत से राहत मिली है। सीबीआइ की विशेष अदालत ने शुक्रवार को उसे सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। उस पर रंगदारी वसूलने के लिए धमकाने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप थे।

मामले की शुरुआत वर्ष 1998 में हुई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया था कि नैनी जेल में बंद बबलू श्रीवास्तव जेल के भीतर मोबाइल का इस्तेमाल कर अपने गिरोह के सदस्यों से संपर्क करता था। जेल के बाहर उसके इशारे पर आपराधिक वारदात को अंजाम दिया जाता था। जेल के कुछ अधिकारियों पर भी उसे सुविधा मुहैया कराने के आरोप लगे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने एक फरवरी 1999 को जांच सीबीआइ को सौंपने का आदेश दिया था। सीबीआइ ने थाना कैंट, प्रयागराज में धीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की शिकायत पर 14 दिसंबर 1998 को दर्ज मुकदमे की विवेचना शुरू की। शुरुआत में धोखाधड़ी, जालसाजी, मारपीट, धमकी और आपराधिक साजिश समेत कई आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया था।

विवेचना के बाद सीबीआइ ने नौ अक्टूबर 2001 को बबलू श्रीवास्तव के खिलाफ रंगदारी और धमकी देने के आरोप में आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत ने 13 अक्टूबर 2003 को इन आरोपों पर सुनवाई शुरू करने के लिए आरोप तय किए। करीब 28 साल तक चले मुकदमे के बाद अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए बबलू श्रीवास्तव को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

नए सीजन में अब तक करीब 13 लाख टन चीनी उत्पादन

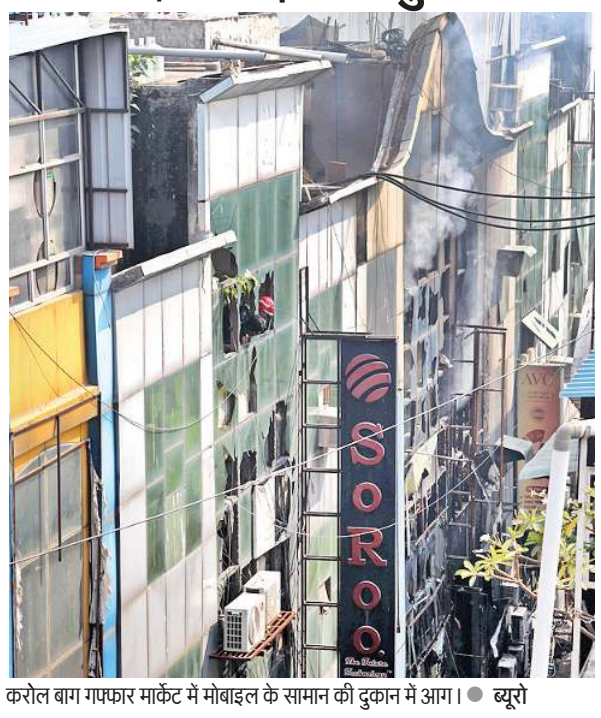
नई दिल्ली, एजेंसी : देश में चीनी उत्पादन के नए सीजन 2026-27 की शानदार शुरुआत हुई है। इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आइएसएमए) ने कहा कि पिछले महीने शुरू हुए 2026-27 चीनी विपणन वर्ष में अब तक चीनी उत्पादन चार गुना बढ़कर 12.85 लाख टन हो गया है। आइएसएमए ने कहा कि पांच नवंबर तक देशभर की 184 चीनी मिलों में पेराई शुरू हो चुकी है। पिछले साल इसी अवधि में 154 मिलों में पेराई शुरू हुई थी। इस सत्र में चीनी उत्पादन 12.85 लाख टन पर पहुंच गया है, जबकि पिछले साल इसी तारीख तक 3.20 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था।

उत्पादन में बढ़ोतरी पेराई जल्द शुरू होने के कारण है। महाराष्ट्र में पेराई 15 नवंबर से शुरू होती है, पर इस बार एक महीने पहले काम शुरू हो गया। महाराष्ट्र में पांच नवंबर तक 136 मिलों में 10.78 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है। पिछले साल इसी अवधि में 101 मिलों में पेराई शुरू हुई थी और 1.23 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था।

दिल्ली के गफ्फार मार्केट में भीषण आग से 25 से ज्यादा दुकानें खाक, करोड़ों का नुकसान

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली : त्योहारों में अच्छी बिक्री की उम्मीद लगाए बैठे गफ्फार मार्केट के दुकानदारों को शुक्रवार तड़के लगी भीषण आग से बड़ा नुकसान हुआ। करोल बाग स्थित पुरी प्लाजा की तीन मंजिला इमारत में लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। यहां मोबाइल एक्सेसरीज की 25 से अधिक दुकानें आग की चपेट में आ गईं। दुकानों में रखे मोबाइल फोन, चार्जर, बैटरी, ईयरफोन और अन्य इलेक्ट्रानिक सामान जलकर राख हो गए। शुरुआती अनुमान के मुताबिक, करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है।

दमकल विभाग के अधिकारी के अनुसार 256 गज में बनी इमारत के भूतल पर शुक्रवार तड़के करीब डेढ़ बजे आग लगी। उस समय बाजार बंद था। शुरुआत में आग भूतल तक सीमित थी। लेकिन मोबाइल एक्सेसरीज और इलेक्ट्रानिक सामानों के कारण तेजी से फैल गई और पूरी इमारत को चपेट में ले लिया।



करोल बाग गफ्फार मार्केट में मोबाइल के सामान की दुकान में आग। ● ब्यूरो

Bank of India — *रिश्तों की जमापूंजी Relationship beyond banking*

आंचलिक कार्यालय : स्टार हाउस, प्लॉट नं. 58 और 59, वंसत विहार कॉलोनी, वार्ड नं. 4, धार (म.प्र.), मोबाईल नं. 9764735730, 8787277135

अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

ई-नीलामी विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन, हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

आल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना आम लोगों को और विशेष रुप से उधार लेने वाले/जमानतदारों को यह नोटिस दिया जाता है कि निम्न वर्णित सारणी के कॉलम 3 में उल्लिखित अचल संपत्ति जो **प्रतिभूत लेनदार (बैंक ऑफ इंडिया)** के पास गिरवी / प्रभारित है, जिसका सांकेतिक/भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **''जहां है ,जैसा है और जो कुछ भी है ''** के आधार पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम 2 में उल्लिखित ऋणी एवं जमानतदारों से बैंक ऑफ इंड़िया (प्रतिभूत लेनदार) की निम्नलिखित तालिका के कॉलम 4 में उल्लिखित राशि की वसूली हेतु **दिनांक 09.12.2026** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं जमा योग्य अग्रिम धनराशि तालिका के कॉलम 6 व 7 में क्रमश: दी गई है।

ई-नीलामी दिनांक 09.12.2026 को प्रातः 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक

शाखा का नाम (1)	ऋणी / जमानतदार का नाम (2)	संपत्ती का विवरण व स्वामी का नाम (3)	मांग सूचना 13(2) के तहत मांग नोटिस दिनांक व बकाया राशि (4)	आधिपत्य की दिनांक व प्रकार (5)	आरक्षित राशि (रू.) (6)	ईएमडी (7) / वृद्धि राशि
शाखा : खरगोन एसएमई	**मेसर्स हरिओम ऑयल इंडस्ट्रीज (उधारकर्ता),** पता: ग्राम बिरोती, बिरोती टेमला रोड जिला- खरगोन 451001 म.प्र., **प्रोप. :- श्री संतोष मारूपिता शेरू मारू(उधारकर्ता और बंधककर्ता),** **पता :** ग्राम बिरोती, बिरोती टेमला रोड जिला- खरगोन 451001 म.प्र.	भूमि और भवन का साम्यिक बंधक सर्वे नंबर 278/2 और 278/3, पी.एच. नंबर 23, ग्राम बिरोती, जिला खरगोन (म.प्र.) में स्थित, **प्लॉट का क्षेत्रफल 0.770 हेक्टेयर यानी 7700 वर्ग मीटर,** संपत्ति मालिक श्री संतोष मारू पिता शेरू मारू, संपत्ति की **चतुर्सीमा : संपत्ति नंबर 1: सेल डीड के अनुसार, पी.एच. 23, सर्वे नंबर 278/2, क्षेत्रफल 41382 वर्ग फीट, उत्तर** – इसी भूमि का शेष भाग, **दक्षिण** – सरकारी सीमा, **पूर्व** – भूमि खरीदार, **पश्चिम** – इसी भूमि का शेष भाग **संपत्ति नंबर 2 : सेल डीड के अनुसार, पी.एच. 23, सर्वे नंबर 278/3, क्षेत्रफल 41382 वर्ग फीट, उत्तर** – इसी खसरा भूमि का शेष भाग, **दक्षिण** – सरकारी सीमा, **पूर्व** – मायाबाई नाथू की भूमि, **पश्चिम** – इसी खसरा भूमि का शेष भाग, **बैंक नेट प्रॉप आईडी: BKIDDHARPROP122**	22.07.2026 ₹ 18,83,828.37 + ब्याज एवं अन्य खर्च	22.10.2026 सांकेतिक	₹ 101.00 लाख	₹ 10.10 लाख / ₹ 1.00 लाख
शाखा : घाटाबिल्लौद	**श्री कालू सिंह सिसोदिया (उधारकर्ता-बंधककर्ता)** प्लॉट नं. 56/1, महालक्ष्मी नगर कॉलोनी, घाटाबिल्लौद, तहसील- धार, जिला- धार, म.प्र. 454773	साम्यिक बंधक संपत्ति के समस्त भू भाग व अंश (आवासीय मकान) प्लॉट नंबर 56/1, महालक्ष्मी नगर कॉलोनी, घाटाबिल्लौद, तहसील-धार, जिला-धार (म.प्र.), **संपत्ति मालिक:** श्री कालू सिंह सिसोदिया पिता श्री हरि सिंह सिसोदिया, कुल क्षेत्रफल 562 वर्ग फीट, **चतुर्सीमा: उत्तर में** – प्लॉट नंबर 56 का बाकी हिस्सा, **दक्षिण में** – प्लॉट नंबर 55, **पूर्व में** – प्लॉट नंबर 62, पश्चिम में - कॉलोनी रोड, **बैंक नेट प्रॉप आईडी: BKIDDHARPROP121**	30.07.2026 ₹ 38,76,750.24 + ब्याज एवं अन्य खर्च	08.10.2026 सांकेतिक	₹ 14.15 लाख	₹ 1.415 लाख / ₹ 00.25 लाख

क्रेता के द्वारा स्टाम्प शुल्क, बिक्री प्रमाण पत्र शुल्क, पंजीकरण शुल्क, टी.डी.एस. सरकार को देय सभी वैधानिक बकाया, कर और दरों और संपत्तियों से संबंधित कोई अन्य खर्च, मौजूदा और भविष्य, दोनों के लिए देय होगा। बिक्री प्रमाण पत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम से ही जारी किया जाएगा।

ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाईट **https://baanknet.com** बोलीकर्ता **https://baanknet.com**, नियम व शर्तो की अधिक जानकारी हेतु शैक्षणिक वीडियो के साथ देख सकते है। बोलीकर्ता को पूर्व में ही बोली पंजीयन की सभी औपचारिकताएं पूर्ण करना अनिवार्य है। नीलामी से संबंधित सभी जानकारी ई-नीलामी दिनांक से पहले ही प्राप्त कर लेने की सभी जवाबदारी बोलीकर्ता की रहेगी।

ए. सफल बोलीकर्ता को घोषणा के तुरंत बाद बिक्री मूल्य का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) जमा करना होगा।

बी. नीलामी- बिक्री की कार्यवाही में बैंकिंग लेनदेन का समय समाप्त होने के पश्चात, खरीद मूल्य का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) अगले कार्य दिवस तक जमा कराना होगा।

सी. बिक्री मूल्य की शेष राशि का भुगतान बिक्री की दिनांक से 15 वें (पंद्रहवें) दिन के भीतर जमा किया जाना होगा।

डी. उपर उल्लिखित अवधि के भीतर भुगतान न करने पर, जमा और बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा।

इ. सफल बोलीकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी की आयकर अधिनियम की धारा **194-IA** के तहत लागू 1% की दर से टीडीएस जमा करना होगा, यदि इस तरह के प्रतिफल के लिए जमा या भुगतान की गई राशि का योग रु. 50 लाख या अधिक है। टीडीएस को फार्म **26QB** आनलाईन भरकर जमा कराना होगा और टीडीएस सर्टिफिकेट फार्म **16B** में जारी करना होगा। खरीदार को सरकारी खाते मे आयकर जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

एफ. बोली केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत की जाएगी।

जी. प्राधिकृत अधिकारी का उक्त ई-नीलामी को बिना किसी कारण बताए रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

एच. आरक्षित मूल्य से कम से कम एक वृद्धि राशि जोडने पर ही बोली स्वीकार होगी।

दिनांक : 07.11.2026, स्थान: धार — प्राधिकृत अधिकारी: बैंक ऑफ इंडिया

Bank of India — *रिश्तों की जमापूंजी Relationship beyond banking*

आस्ति वसूली शाखा, आंचलिक कार्यालय प्लॉट नंबर 9-आरसी, स्कीम नंबर 134, एम. आर-10 इंदौर (म .प्र.) 452010 फोन नम्बर 0731-2445122, 212 Email: arb.indore@bankofindia.bank.in

अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

ई-नीलामी विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन, हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

आल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना आम लोगों को और विशेष रुप से उधार लेने वाले/जमानतदारों को यह नोटिस दिया जाता है कि निम्न वर्णित सारणी के कॉलम 3 में उल्लिखित अचल संपत्ति जो **प्रतिभूत लेनदार (बैंक ऑफ इंडिया)** के पास गिरवी / प्रभारित है, जिसका सांकेतिक/भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **''जहां है ,जैसा है और जो कुछ भी है ''** के आधार पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम 2 में उल्लिखित ऋणी एवं जमानतदारों से बैंक ऑफ इंड़िया (प्रतिभूत लेनदार) की निम्नलिखित तालिका के कॉलम 4 में उल्लिखित राशि की वसूली हेतु **दिनांक 09.12.2026** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं जमा योग्य अग्रिम धनराशि तालिका के कॉलम 6 व 7 में क्रमश: दी गई है।

ई-नीलामी दिनांक 09.12.2026 को प्रातः 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक

शाखा का नाम (1)	ऋणी / जमानतदार का नाम (2)	संपत्ती का विवरण व स्वामी का नाम (3)	मांग सूचना 13(2) के तहत मांग नोटिस दिनांक व बकाया राशि (4)	आधिपत्य की दिनांक व प्रकार (5)	आरक्षित राशि (रू.) (6)	ईएमडी (7)
शाखा एआरबी इन्दौर	**मैसर्स श्री बालाजी उद्योग (प्रोपराईटर: श्री संदीप गोयल पिता शंकर लाल गोयल), श्री संदीप गोयल पिता शंकर लाल गोयल (प्रोपराईटर- बंधककर्ता), दोनों का पता 1:** मनीष धर्मशाला के पास, कल्लनगंज, खंडवा म.प्र. (450001), **पता 2:** के.एच. नंबर 224/2, पीएच नंबर 62, ग्राम बोरगांव खुर्द, खंडवा म.प्र. (450001), **श्रीमती मंजू अग्रवाल पति सुनील अग्रवाल (जमानतदार-बंधककर्ता), पता:** प्लॉट नं. 327, स्विधा ज्वैलर्स, सराफा बाजार, भुसावल, जिला जलगांव महाराष्ट्र (425201), **श्रीमती सपना अग्रवाल पति दीपेश अग्रवाल (जमानतदार), पता:** श्याम विलास चौराहा, गोकुलगंज, मह्, जिला इंदौर म.प्र. (453441), **श्रीमती शीतल सिंघल पति पवन कुमार सिंघल (जमानतदार), पता:** 50, सोमनाथ की जूनी चाल, वल्लभ नगर, इंदौर म.प्र. (452003)	संपत्ति का समस्त भू भाग व अंश व्यावसायिक डायवर्टेड भूमि और भवन के.एच. नम्बर 224/2, पीएच नंबर 62, ग्राम बोरगांव खुर्द, खंडवा, **संपत्ति मालिक:** श्रीमती मंजू अग्रवाल पति श्री सुनील अग्रवाल (जमानतदार) और श्री संदीप गोयल (प्रोपराईटर), क्षेत्रफल 0.40 हेक्टेयर या 43560 वर्ग फीट, **संपत्ति की चतुर्सीमा: उत्तर:** हरकचंद पिता सुखराम की भूमि, **दक्षिण:** बाबू पिता नारायण और गहनाबाई पति दशरथ की भूमि (विनायक उद्योग ऑयल मिल), **पूर्व:** अमराती बाई पति सुखराम और सरवन पिता मांगीलाल की भूमि, **पश्चिम:** रास्ता	05.07.2025 ₹ 1,54,18,784.11 + ब्याज एवं अन्य खर्च	07.09.2026 भौतिक	₹ 145.50 लाख	₹ 14.55 लाख
शाखा एआरबी इन्दौर	**मेसर्स डायमंड बेवरेजेस, पता:-** 55-बी आर गोयल इंडस्ट्रियल पार्क, मालीखेड़ी-नेमावर रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश 452007 **पार्टनर : 1. श्री अजय कुमार जैन पिता श्री कैलाश चंद्र जैन , 2. श्रीमती निशा जैन पति श्री अजय कुमार जैन , 3. श्री अनीष कुमार जैन पिता श्री अजय कुमार जैन, सभी का पता: 1,** नरसिंहगढ़ कोठी, गुलमर्ग वैली बी ब्लॉक, फ्लेट नंबर 301, कनाडिया रोड, इंदौर म.प्र. 452016 **जमानतदार : मेसर्स डायमंड इंफ्रास्टेक्चर प्रोप्रा श्री अजय कुमार जैन, पता 1-** 203, नार्थ राजमोहल्ला, इंदौर म.प्र. 452002, **पता 2-** 1, नरसिंहगढ़ कोठी, गुलमर्ग वैली बी ब्लॉक, फ्लेट नंबर 301, कनाडिया रोड, इंदौर म.प्र. 452016	संपत्ति समस्त भू भाग व अंश प्लॉट नं. 02 , भूमि सर्वे नं. 236 एवं 237/1 , ग्राम राजगढ़, तहसील सरदारपुर, जिला धार (म.प्र.) पर स्थित, **क्षेत्रफल : 1000 वर्ग फीट, चतुर्सीमा : पूर्व :** रोड़ , **पश्चिम :** प्लॉट नं. 31, **उत्तर :** प्लॉट नं. 03, **दक्षिण :** प्लॉट नं. 01, **संपत्ति मालिक : मेसर्स डायमंड इंफ्रास्टेक्चर (जमानतदार) प्रोप्रा. श्री अजय कुमार जैन ,**	06.04.2021 ₹ 1,85,92,703.30 + ब्याज एवं अन्य खर्च	16.11.2021 सांकेतिक	₹ 8.92 लाख	₹ 0.90 लाख
		संपत्ति समस्त भू भाग व अंश प्लॉट नं. 03 , भूमि सर्वे नं. 236 एवं 237/1 , ग्राम राजगढ़, तहसील सरदारपुर, जिला धार (म.प्र.) पर स्थित, **क्षेत्रफल : 1000 वर्ग फीट, चतुर्सीमा : पूर्व :** रोड़ , **पश्चिम :** प्लॉट नं. 30, **उत्तर :** प्लॉट नं. 04, **दक्षिण :** प्लॉट नं. 02, **संपत्ति मालिक : मेसर्स डायमंड इंफ्रास्टेक्चर (जमानतदार) प्रोप्रा. श्री अजय कुमार जैन**			₹ 8.92 लाख	₹ 0.90 लाख
		संपत्ति समस्त भू भाग व अंश व्यावसायिक शॉप भूमि, सर्वे नं. 236 एवं 237/1 ग्राम राजगढ़, तहसील सरदारपुर, जिला धार (म.प्र.) पर स्थित, **क्षेत्रफल : 5381 वर्ग फीट, चतुर्सीमा : पूर्व :** अन्य भूमि, **पश्चिम :** रोड़, **उत्तर :** पार्क, **दक्षिण :** रोड़, **संपत्ति मालिक : मेसर्स डायमंड इंफ्रास्टेक्चर (जमानतदार) प्रोप्रा. श्री अजय कुमार जैन**			₹ 58.00	₹ 5.80

क्रेता के द्वारा स्टाम्प शुल्क, बिक्री प्रमाण पत्र शुल्क, पंजीकरण शुल्क, टी.डी.एस. सरकार को देय सभी वैधानिक बकाया, कर और दरों और संपत्तियों से संबंधित कोई अन्य खर्च, मौजूदा और भविष्य, दोनों के लिए देय होगा। बिक्री प्रमाण पत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम से ही जारी किया जाएगा।

ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाईट **https://baanknet.com** बोलीकर्ता **https://baanknet.com**, नियम व शर्तो की अधिक जानकारी हेतु शैक्षणिक वीडियो के साथ देख सकते है। बोलीकर्ता को पूर्व में ही बोली पंजीयन की सभी औपचारिकताएं पूर्ण करना अनिवार्य है। नीलामी से संबंधित सभी जानकारी ई-नीलामी दिनांक से पहले ही प्राप्त कर लेने की सभी जवाबदारी बोलीकर्ता की रहेगी।

ए. सफल बोलीकर्ता को घोषणा के तुरंत बाद बिक्री मूल्य का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) जमा करना होगा।

बी. नीलामी- बिक्री की कार्यवाही में बैंकिंग लेनदेन का समय समाप्त होने के पश्चात, खरीद मूल्य का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) अगले कार्य दिवस तक जमा कराना होगा।

सी. बिक्री मूल्य की शेष राशि का भुगतान बिक्री की दिनांक से 15 वें (पंद्रहवें) दिन के भीतर जमा किया जाना होगा।

डी. उपर उल्लिखित अवधि के भीतर भुगतान न करने पर, जमा और बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा।

इ. सफल बोलीकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी की आयकर अधिनियम की धारा **194-IA** के तहत लागू 1% की दर से टीडीएस जमा करना होगा, यदि इस तरह के प्रतिफल के लिए जमा या भुगतान की गई राशि का योग रु. 50 लाख या अधिक है। टीडीएस को फार्म **26QB** आनलाईन